

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2012/डी- 244

दिनांक: 08/2/2012

श्री मनीष स्वामी,
निदेशक,
ब्ल्यू हैवन बिल्डकॉन प्रा.लि.,
ए-201, शिव नगर, मुरलीपुरा,
जयपुर।

विषय :- भूखण्ड संख्या 15-बी, 16-बी से 22-बी, एयरपोर्ट एनक्लेव, जगतपुरा जयपुर के प्रस्तावित आवासीय प्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2011 में मानचित्र अनुमोदन के लिए जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या 15-बी, 16-बी से 22-बी, एयरपोर्ट एनक्लेव, जगतपुरा जयपुर के प्रस्तावित आवासीय प्लेट्स के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनका स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) में दिनांक 21.10.2011 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह जनवरी-2019 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
6. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
8. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
9. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
10. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

11. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
14. आवेदक द्वारा जारी किये जा रहे अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार बेसमेन्ट/स्टिल्ट के पार्किंग क्षेत्र को अन्डरटेकिंग/समर्पणनामें अनुसार भवन निर्मित होन पर जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा एवं जिसका कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा विधिवत प्राप्त किया जावेगा।
15. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में आप द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
17. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण एवं उपलब्ध पार्किंग की सूचना जविप्रा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।
19. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।

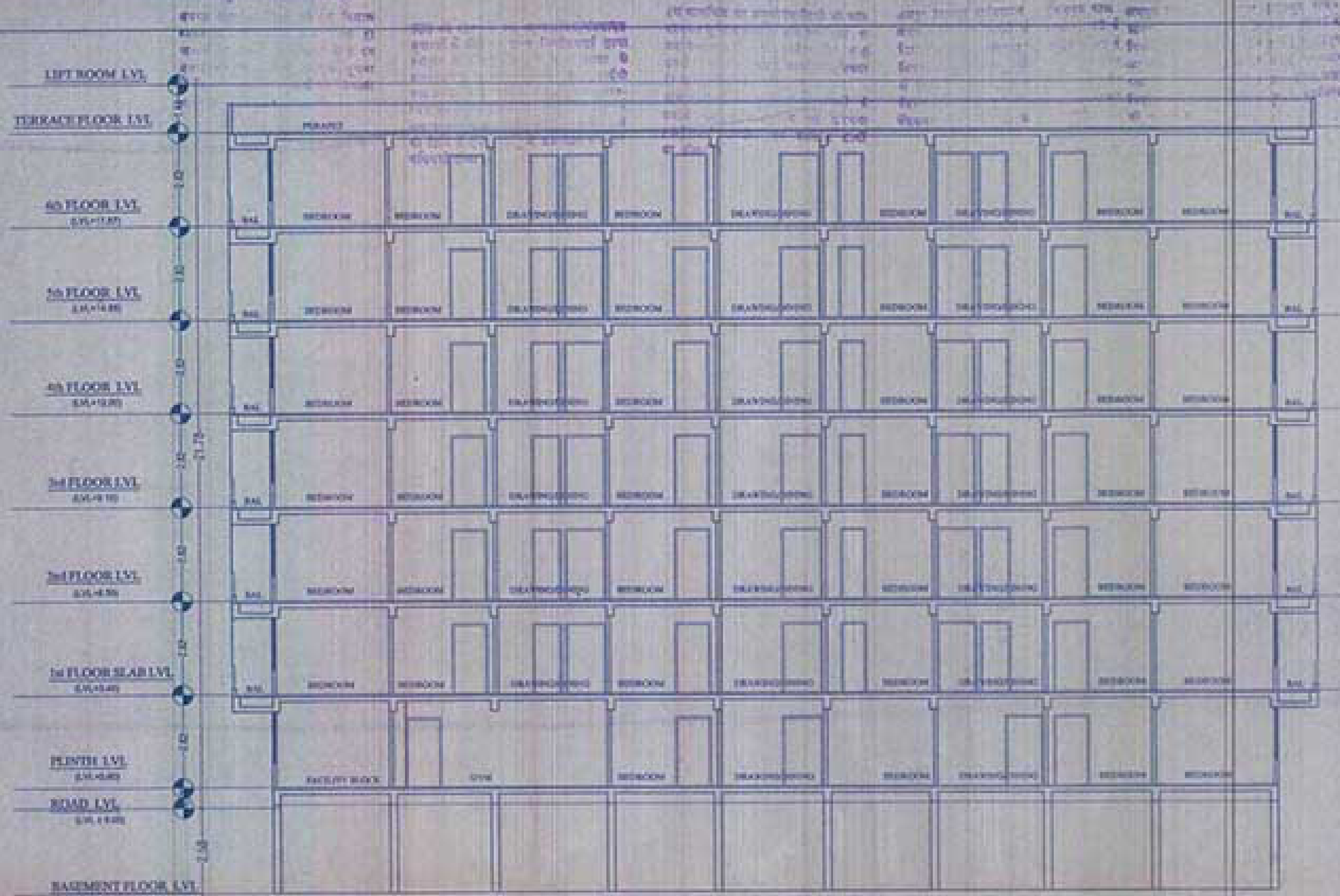
भवदीय

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

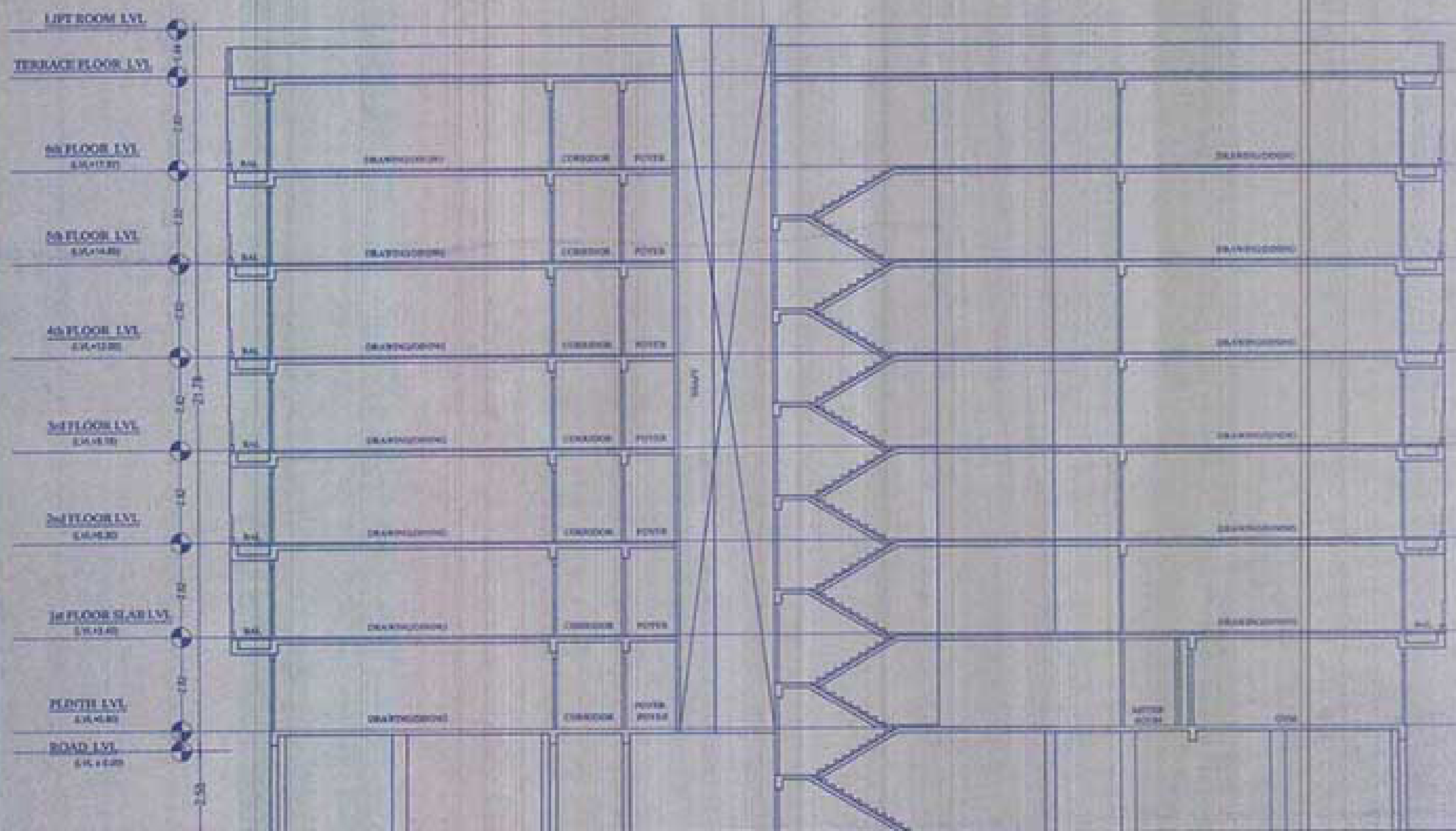
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन-9, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक जोन-9, जविप्रा को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि कृपया अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति उपायुक्त जोन से प्राप्त करें।
4. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सर्वेयर, बीपीसी-द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



SECTION AT X-X



SECTION AT Y-Y

DORE Consultants

ARCHITECTS: JAYESH BANSAL
PLOT, LAL KOTH ROAD, NERUL, BANGALORE, KARNATAKA
PHONE: 988044479

10/11/12

10/11/12

PROJECT:
PROPOSED RESIDENTIAL GROUP
HOUSING OF OF PLOT NO
B-15 TO B-22
AT AIRPORT ENCLAVE, TILAWALA
TEH. - SARANGPURA, JAIPUR

DRAWING TITLE:
X-X & Y-Y SECTION

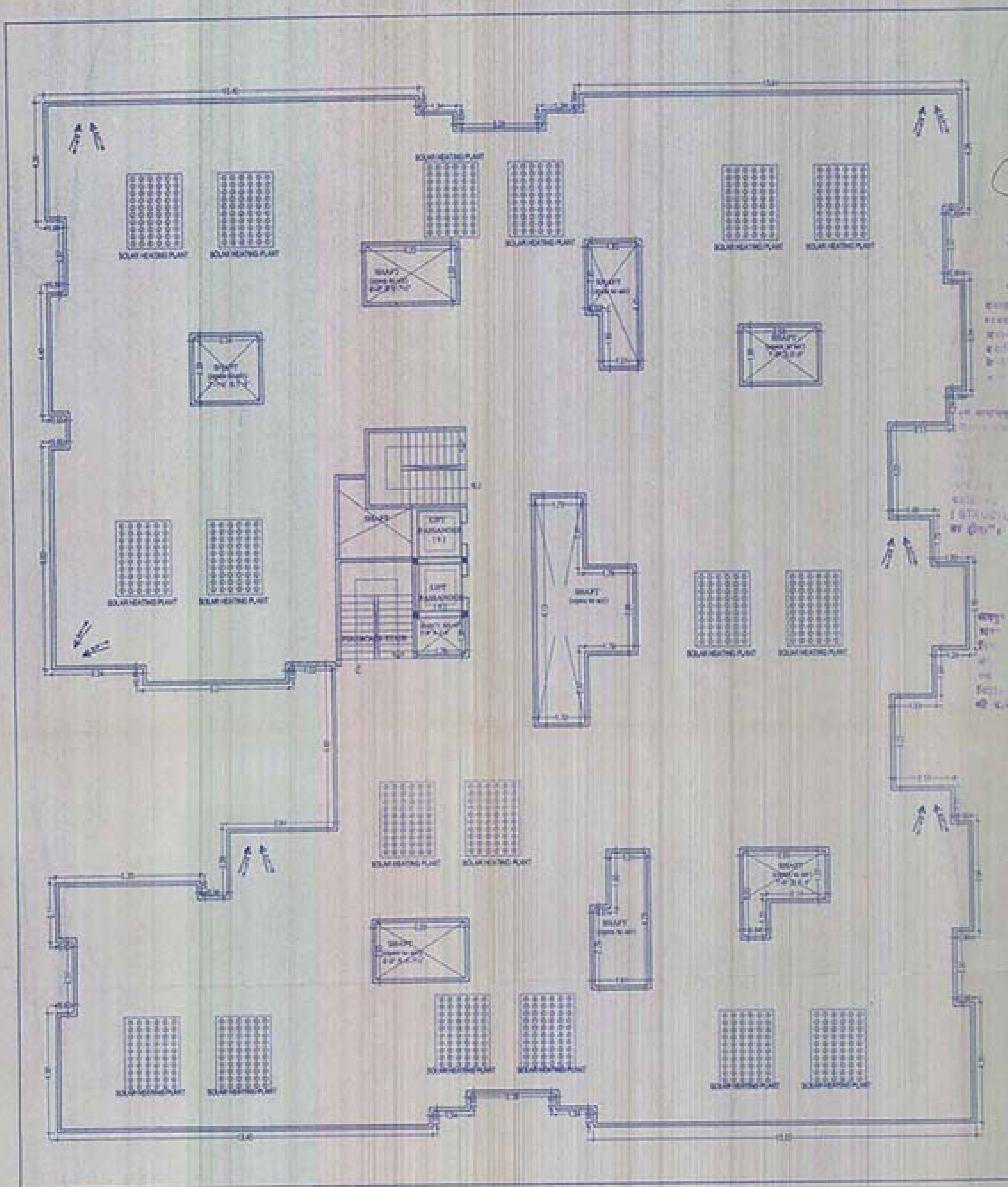
SHEET NO: 8

ARCHITECT

APPROVED

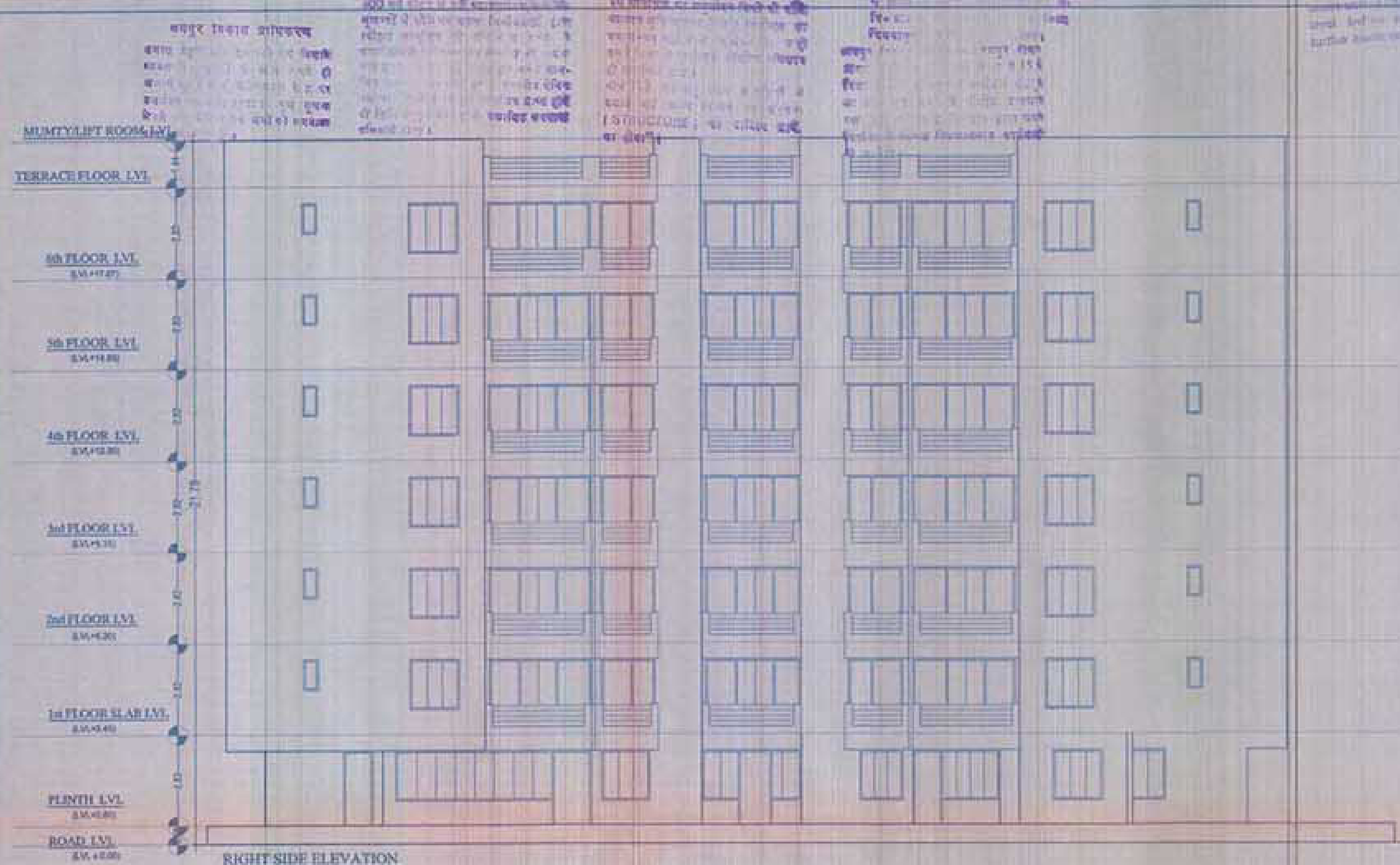
10/11/12

10/11/12



GROUP COMMENTS REMARKS: (1) THE PROPOSED RESIDENTIAL GROUP IS TO BE CONSTRUCTED IN THE AIRPORT ENCLAVE, TILAKHOLA, TEH. BARANPUR, JALPURA.	
APPROVED DATE: 12/12/14 SIGNATURE: [Signature]	
PROPOSED RESIDENTIAL GROUP HOUSING OF GP PLOT NO. 1515 TO 1522 AT AIRPORT ENCLAVE, TILAKHOLA, TEH. BARANPUR, JALPURA	
REMARKS 1. THE PROPOSED RESIDENTIAL GROUP IS TO BE CONSTRUCTED IN THE AIRPORT ENCLAVE, TILAKHOLA, TEH. BARANPUR, JALPURA. 2. THE PROPOSED RESIDENTIAL GROUP IS TO BE CONSTRUCTED IN THE AIRPORT ENCLAVE, TILAKHOLA, TEH. BARANPUR, JALPURA. 3. THE PROPOSED RESIDENTIAL GROUP IS TO BE CONSTRUCTED IN THE AIRPORT ENCLAVE, TILAKHOLA, TEH. BARANPUR, JALPURA.	
FOR THE ARCHITECT SIGNATURE: [Signature] DATE: 12/12/14	

ARCHITECTS : JAYRAM BANSAL
P-17, LAL KUTHI, SICHHA, NEWRA, BANARAS MANS.
JAJPUR (RAJASTHAN)
PHONE: 980004472



**PROPOSED RESIDENTIAL GROUP
HOUSING OF OF PLOT NO
B-15 TO B-22
AT AIRPORT ENCLAVE, TILAWALA
TEH. - SARANSAPURA, JAIPUR**

LEFT & RIGHT SIDE ELEVATION

QUESTIONS

ARCHITECT

APPLICANT

For State House Building

09/14/2017

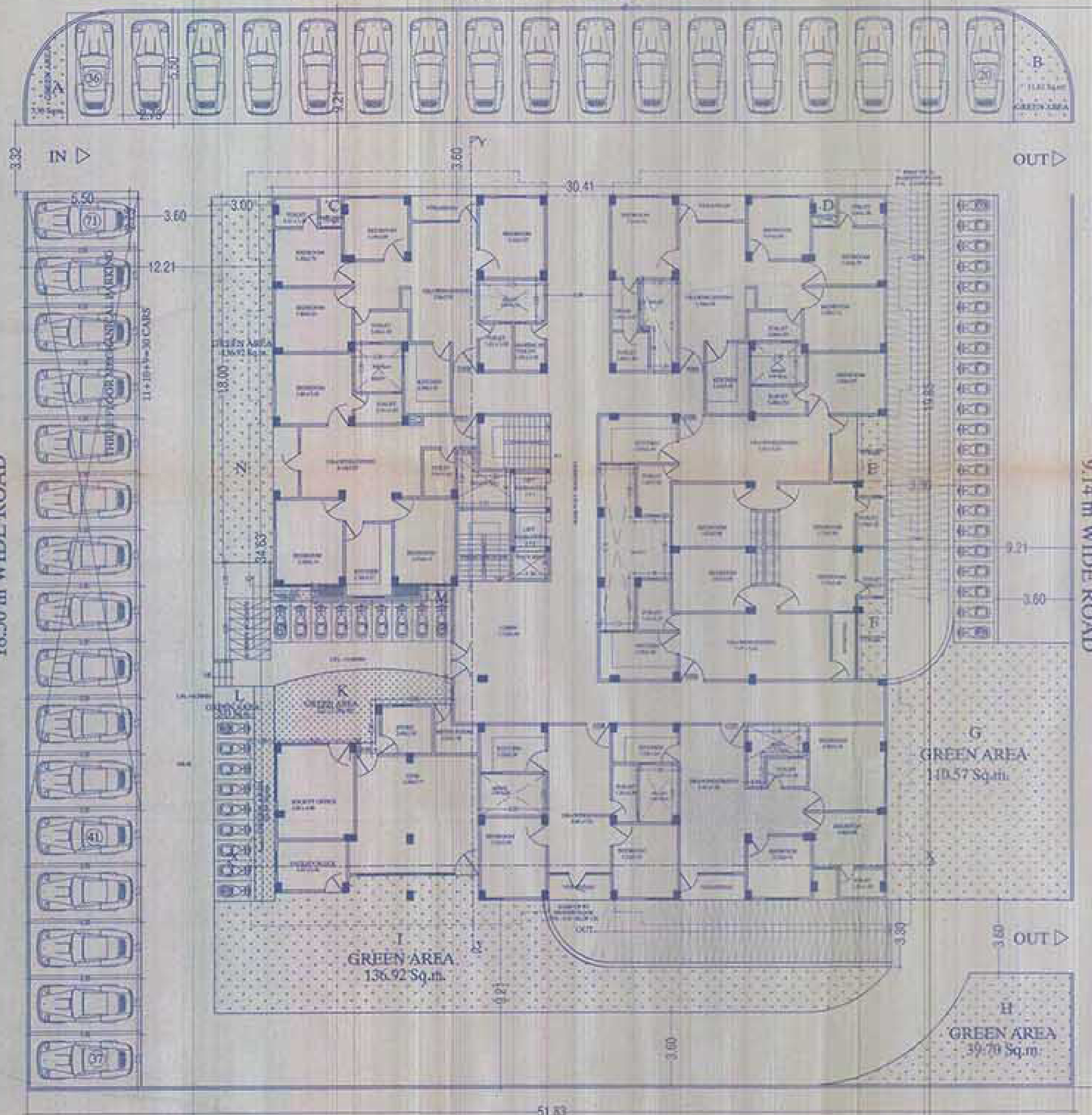
Direct

MONTANA STATE
CAGCOSTHQSAS
ARCHITECT

Hond

18.30 m WIDE ROAD

9.14 m WIDE ROAD

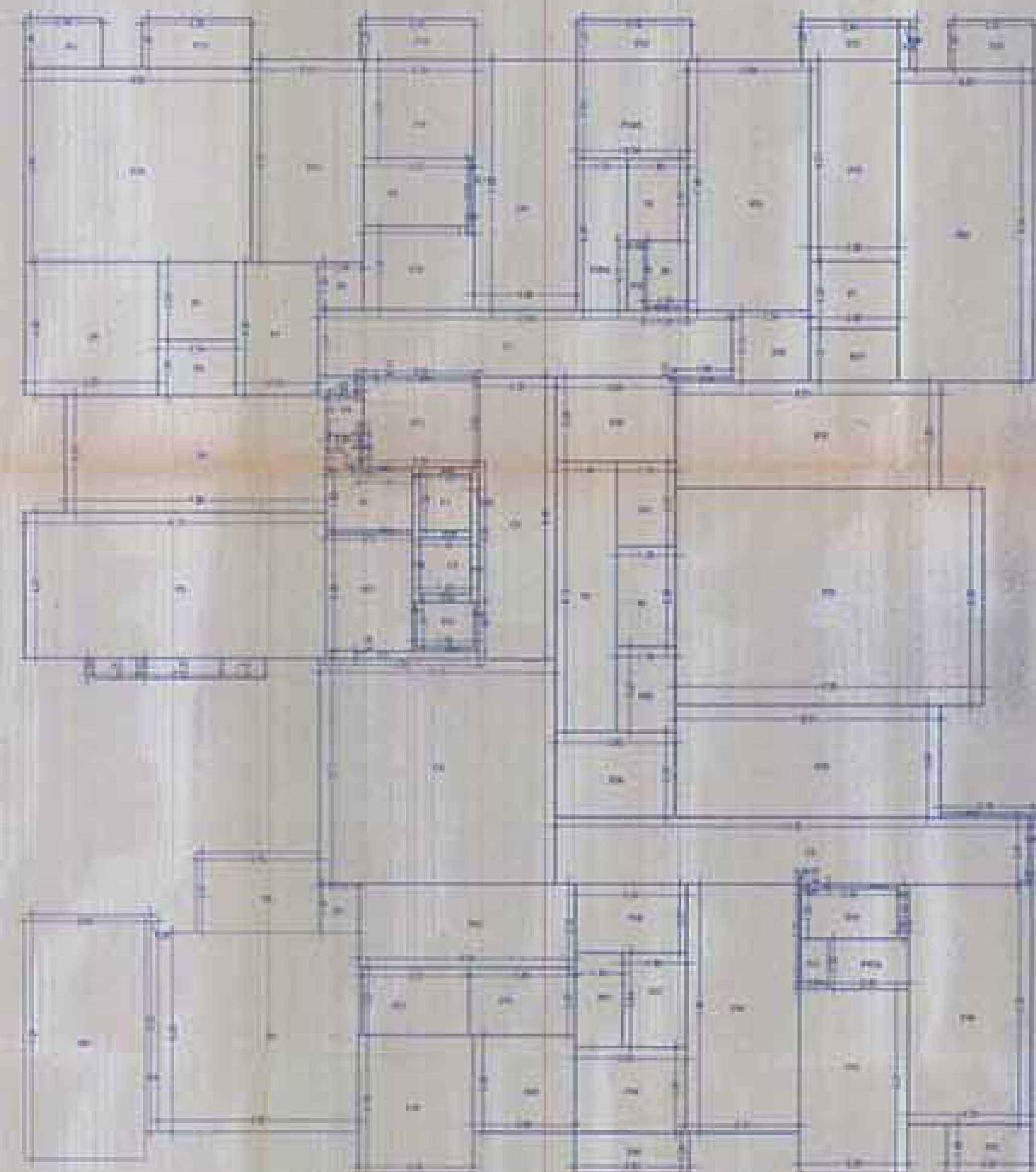


GROUND FLOOR PLAN

GREEN AREA REQUIRED:- 2738.37 X 15% = 410.75 Sq.m.

GREEN AREA CALCULATION :-

A-	7.50 Sq.m.
B-	11.61 Sq.m.
C-	1.77 Sq.m.
D-	1.77 Sq.m.
E-	5.90 Sq.m.
F-	5.90 Sq.m.
G-	110.57 Sq.m.
H-	39.70 Sq.m.
I-	136.92 Sq.m.
J-	10.49 Sq.m.
K-	22.72 Sq.m.
L-	3.11 Sq.m.
M-	3.58 Sq.m.
N-	54.00 Sq.m.
TOTAL :-	415.53 Sq.m.



GROUND FLOOR CALCULATION DRG.

PROPOSED RESIDENTIAL GROUP
HOUSING OF OF PLOT NO
B-15 TO B-23
AT AIRPORT ENCLAVE, TILAWALA
TEH. - SARANGPURA, JAIPUR

GROUND FLOOR PLAN & CALCULATION

